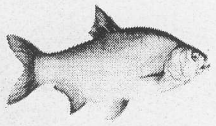

बिहार सरकार

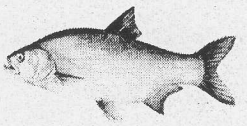

पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) विभाग

प्रगतिशील कृषक/मछली उत्पादन से जुड़े बंधु ध्यान दें।

केन्द्र सरकार द्वारा मत्स्य पालकों के लिए **"नीली कांति योजना"** की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार से 50 प्रतिशत अनुदान की स्वीकृति प्राप्त है। राज्य सरकार द्वारा भी 20 प्रतिशत अतिरिक्त टॉप–अप अनुदान का प्रस्ताव है। राज्य का अनुदान स्वीकृति के उपरांत ही देय होगा। समूह में प्रस्ताव प्राप्त होने पर चयन में प्राथमिकता दी जायेगी। इस योजना के निम्नलिखित अवयव स्वीकृत हैं –

1. **नये तालाब का निर्माण–**
   - प्रति हेक्टेयर 7.0 लाख की इकाई लागत ।
   - लक्ष्य– 150.06 हेक्टेयर।
2. **आद्रभूमि का विकास –**
   - प्रति हेक्टेयर 5.0 लाख की इकाई लागत ।
   - लक्ष्य– 260 हेक्टेयर।
3. **प्रथम वर्ष इन्पुट (नये तालाब एवं विकसित आद्रभूमि हेतु)–**
   - प्रति हेक्टेयर 1.5 लाख की इकाई लागत ।
   - लक्ष्य– 410.06 हेक्टेयर।
4. **आद्रभूमि में अंगूलिकाओं का संचयन –**
   - प्रति हेक्टेयर इकाई लागत 0.5 लाख ।
   - लक्ष्य– 1000 हेक्टेयर।
5. **केज में मछली पालन (जलाशय में)**
   - इकाई लागत –3.0 लाख ।
   - लक्ष्य–84 संख्या।
6. **हैचरी का निर्माण –**
   - इकाई लागत– 22.00 लाख ।
   - लक्ष्य– 20 संख्या।
7. **फिश फीड मील का अधिष्ठापन–**
   - इकाई लागत 100 लाख तथा 10 लाख।
   - लक्ष्य– 1 तथा 5 संख्या।

उपर्युक्त अवयवों का लाभ उठाकर आप अपना आर्थिक विकास कर सकते है।

इच्छुक मत्स्य कृषक अपना आवेदन अद्यतन राजस्व रसीद, एल0पी0सी0, स्वहस्ताक्षरित फोटो, तथा फोटो पहचान पत्र के साथ अपने जिले के जिला मत्स्य पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करें। आवेदन पत्र में अपना मोबाईल नम्बर का अवश्यक उल्लेख करें।

निदेशक मत्स्य
बिहार,पटना